न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 04/2020
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2020/00095

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार : जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) पाली		विजयराज वल्द भूराराम जाति सरगरा निवासी गुन्दोज पाली (राज.)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना

–: निर्णय :–

दिनांक 22.07.2024

जैर प्रार्थना–पत्र माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के प्रकरण संख्या रेफरेन्स/एलआर/2013/7104/पाली बअनवान सरकार बनाम विजयराज में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2020 की पालना में दर्ज किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबांना वक्त बहस उपस्थित हुए। अप्रार्थी बाद तामिल आज दिनांक तक वकालतन एवं असालतन अनुपस्थित। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को वक्त बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम गुन्दोज तहसील पाली की मिसल बन्दोबस्त संवत् 2019 के अनुसार खसरा संख्या 715 कुल रकबा 49 बीघा 17 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन नदी/वाला राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि में से अप्रार्थी को खसरा संख्या 715/3 में से 5 बीघा का आवंटन दिनांक 06.11.1977 को हुआ तथा नामान्तरकरण संख्या 1206 दिनांक 06.11.1977 के द्वारा खतेदारी अधिकार प्रदान किये गये परन्तु आवंटित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी होने से यह भूमि प्रतिबन्धित की श्रेणी में आती है जो नियमन/आवंटन योग्य नहीं है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेन्स भिजवावे तथा आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 06.11.1977 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1206 दिनांक 06.11.1977 को निरस्त कर भूमि की किस्म राजस्व रेकर्ड में पुनः गैर मुमकिन नदी/वाला दर्ज करावे।

जिला कलेक्टर, पाली

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में श्रवणशुदा बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की किस्म में आती है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से पाया कि पत्रावली पर केवल जमाबन्दी 2019 का रिकॉर्ड है, सन् 1947 के रिकॉर्ड के संबंध में कोई दस्तावेज या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट जाहिर हो सके कि वक्त आवंटन जैर आराजी की किस्म गैर मुमकिन नदी दर्ज हो, न ही पत्रावली पर जैर आवंटन आदेश की प्रति उपलब्ध है जिसकी पालना में नामान्तरकरण खोले गये हो। उक्त दस्तावेज को न्यायालय में पेश किये जाने बांबत् प्रार्थी को न्यायालय हाजा द्वारा

Scanned with ACE Scanner

बार–बार जरिये पत्राचार अवगत करवाये जाने के उपरान्त भी आज दिनांक तक जैर आराजी के संबंध में सन् 1947 के रिकॉर्ड तथा जैर आवंटन आदेश के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है व अपने पत्रांक 744 दिनांक 30.05.2024 द्वारा उक्त रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने बाबत् अवगत करवाया है। लिहाजा उक्त दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण यह पता नहीं लगाया जा सकता कि वक्त आवंटन जैर आराजी की किस्म गैर मुमकिन नदी थी। आवंटन की पात्रता का निर्धारण वक्त आवंटन भूमि की किस्म से किया जाना है, जबकि वक्त आवंटन भूमि की किस्म के संबंध में कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है। उक्त आवंटन वर्ष 1977 में होने के बाद यह आवंटन/नियमन निरस्त कराने हेतु सन् 2020 अर्थात् करीब 42 वर्षों के लम्बे अरसे बाद आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने के लिए बिना कोई ठोस आधार के प्रस्तुत किया।

उपरोक्तानुसार हम प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन/नियमन को रेफरेन्स किये जाने के लिए कोई ठोस एवं विधिक आधार नहीं पाते है। अतएव जैर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 सारहीन बलहीन होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक **22.07.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर,
पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner